UPME010079452026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01 मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–V (एच०जे०एस०)
JO Code NO. UP–6155
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–2618/2026
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2112/2026

फुरकान ... ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ... ...विपक्षी

धारा – 115(2),125,351(3)
109(1) बी०एन०एस०
थाना – जानी, जिला मेरठ
मु०अ०सं० 223 सन् 2026

16.06.2026

1– पुलिस थाना जानी, जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 223 सन् 2026, अंतर्गत धारा 115(2), 125,351(3),109(1) बी०एन०एस० में वांछित फुरकान पुत्र निजाकत, निवासी कस्बा सिवाल खास, थाना जानी, जिला मेरठ की ओर से धारा 482 बी०एन०एस०एस० के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में लंबित नहीं हैं।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.04.2026 को हमारे पडोस में कामिल पुत्र निजाकत अली अपने मकान का छज्जा नियम के विरुद्ध लगभग 04 फुट निकाल रहा था जिसके बीच में बिजली लाइन का खम्भा भी आ रहा था जिसे वह तोडने लगा मैने खम्भा तोडने से मना किया तो कामिल व इसके भाई इरफान पुत्र निजाकत, फरमान पुत्र निजाकत व फुरकान पुत्र निजाकत अपने हाथ में पिस्टल व तमन्चे लेकर आये व सामने से ही लगभग 03 से 04 राउड फायर किये जिसके खोके सूचना पर 112 आयी और बरामद किये। चबूतरे पर बैठी मेरी बूढी माँ के साथ भी मारपीट किया जब से 112 पर सूचना दी ओर पुलिस मौके पर पहुँची तो हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्त फरार है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त को थाना हाजा उपरोक्त की पुलिस द्वारा झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। घटना का कोई भी चक्षुदर्शी गवाह नहीं है जिसने घटना को देखा हो या घटना होने का समर्थन किया हो। तथाकथित घटना मे किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है और ना ही किसी भी व्यक्ति का कोई चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। तथाकथित घटना में अभियुक्तगण द्वारा किसी भी तरह की कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्त सामाजिक परिवार का सम्मानित व्यक्ति है। यदि वह जेल जाता है तो उसके परिवार की सामाजिक क्षति होगी। प्रार्थी अभियुक्त को यदि न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है तो वह अपने उचित जमानती दाखिल करने के लिए तैयार है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत मिलने के पश्चात किसी भी गवाह या साक्ष्य से छेडछाड का कोई अंदेशा नहीं है। यदि प्रार्थी अभियुक्त की अग्रिम जमानत होती है तो यह पुलिस की जांच मे पूर्ण सहयोग करेगा तथा सच्चाई से अवगत कराने की पूरी कोशिश करेगा। पुलिस द्वारा प्रार्थी अभियुक्त के घर लगातार दबिश देने से प्रार्थी अभियुक्त को मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। प्रार्थी अभियुक्त को अंदेशा है कि अगर वह अपना पक्ष रखने के लिए विवेचक के पास गया तो वह प्रार्थी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज देगा। प्रार्थी अभियुक्त का कथित अपराध धारा–438 (6) सी०आर०पी०सी० की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी अभियुक्त जमानत पर

छूटने के बाद किसी भी गवाह या साक्ष्य के साथ छेडछाड नहीं करेगा और ना करने का अंदेशा है। प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी **श्री शिवम गुप्ता** के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा फरमान की माता के साथ मारपीट करके स्वेच्छया उपहति करने तथा उसको जान से मारने की नियत से उस पर 03–04 राऊंड़ फायर करने का आक्षेप है। केस ड़ायरी के पर्चा सं०–02 में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा फरमान पुत्र आलेनवी का बयान लेखबद्ध किया गया। उक्त बयान में वादी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अभिकथन किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध केस ड़ायरी के पर्चा सं०–03 में प्रश्नगत प्रकरण की घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण फुरकान, बाबर व मास्टर जाकिर के द्वारा विवेचक को लेखबद्ध कराए गए बयानों में अभिकथन किया गया है कि दिनांक 21.04.2026 की शाम लगभग 05:00 बजे उनके पड़ोसी कामिल पुत्र निजाकत अली अपने मकान का छज्जा गली में लगभग 04 फुट निकाल रहा था, जिसके बीच बिजली का खंभा आ रहा था, जिसे वह तोड़ने लगा तब पड़ोसी फरमान पुत्र आलेनवी ने उसे रोका। इस पर कामिल, उसके भाई इरफान, फरमान व फुरकान पुत्रगण निजाकत, हाथों में कट्टा /तमंचे लेकर आए। फुरकान व कामिल के कहने पर कि "आज इसे जान से मार देते हैं", फरमान व इरफान ने जान से मारने की नियत से फरमान पुत्र आलेनवी पर फायर कर दिया, जिससे वह बाल–बाल बचा। आरोपियों ने फरमान की माता शकीला जो चबूतरे पर बैठी थीं से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। फरमान व इरफान के हाथों में तमंचे थे और फुरकान व कामिल भी इनके साथ थे। इन चारों ने एक राय होकर ही फायरिंग कर यह घटना की है। इसी प्रकार केस ड़ायरी के पर्चा सं०–05 में विवेचक द्वारा अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण अशरफ पुत्र हसनैन व नाजिम पुत्र हारून के बयान भी लेखबद्ध कराए गए है जिसमें उक्त साक्षीगण द्वारा भी अपने बयानों में उपरोक्तानुसार अभिकथन किया गया है। वादी मुकदमा के भाई फुरकान पुत्र आलेनबी द्वारा अपने मोबाईल से बनायी गयी कथित घटना से सम्बन्धित विड़ियो जिसमें सह–अभियुक्त इरफान अन्य अभियुक्तगण के साथ अपने हाथ में तमंचा लिए दिख रहा है, से सम्बन्धित एक फोटो को भी विवेचक द्वारा केस ड़ायरी का भाग बनाया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार विवेचक द्वारा चक्षुदर्शी साक्षीगण बाबर व फुरकान की मौजूदगी में कथित घटनास्थल से 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त की संलिप्तता अभिलेख के परिशीलन से इस स्तर पर दर्शित हो रही है। प्रार्थी अभियुक्त को झूठा फसाया जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रश्नगत प्रकरण की घटना में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। अभिलेख के परिशीलन से विदित है कि प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है तथा फायरिंग में प्रयुक्त उक्त असलहे की बरामदगी का प्रश्न भी अभी सम्माहित है। यदि प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वे बचाव स्तर के है। जिनका कोई लाभ प्रार्थी अभियुक्त को इस स्तर पर प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर बिना विचार किये प्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अभियुक्त फुरकान पुत्र निजाकत की ओर से प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01
मेरठ।
16.06.2026

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.06.18 16:12:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court